

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी:- श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 राजीव गांधी सेवा केन्द्र भाडखा

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

ताराराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार

निवासी नारणोणियों की ढाणी

भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर।

1. वीराराम पुत्र खीमाराम 2.

सवाईराम पुत्र खीमाराम 3.

नखताराम पुत्र भंवराराम 4.

हुकमाराम पुत्र हीराराम 5. देवी

पत्नि मंगलाराम 6. अनू पत्नि

हरजीराम 7. लाली पत्नि सुरताराम

8. जुगताराम पुत्र पुरखाराम 9.

पावूराम पुत्र पुरखाराम 10.

तेजाराम पुत्र पुरखाराम 11. अशोक

पुत्र पुरखाराम 12. नखताराम पुत्र

समरथाराम 13. स्वरूपाराम पुत्र

मंगलाराम जातियान कुम्हार

निवासी नारणोणियों की ढाणी

भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या-172/2021 दिनांक-26.10.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा नारणोणियों की ढाणी, भाडखा, पटवार क्षेत्र भाडखा, तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 88 रकबा 02.18 बीघा, खसरा नम्बर 330/89 रकबा 62.03 बीघा, खसरा नंबर 331/89 रकबा 12.06 बीघा कुल रकबा 77.07 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(रोहित चौहान)

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 19/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6400-6404

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथी अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी भाडखा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथी को मय रिकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी ताराराम पुत्र खीमाराम जाति कुम्हार निवासी नारणोणियों की ढाणी भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी वीराराम पुत्र खीमाराम, वगैरह जाति कुम्हार, निवासी नारणोणियों की ढाणी भाडखा तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर